

27 ⁰³/₂₃

पत्रावली फेंस हुई। वकुलाय उप-।
मूल प्रकरण में आदेश पारित होकर प्रार्थना फर स्वीकार
किया जा चुका है। मूल प्रार्थना फर स्वीकार होने से
T.I. प्रार्थना फर का औचित्य नहीं होने से T.I. प्रार्थना
फर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपजुद्ध अधिकारी
536
बाली, गिरगा-पाली (राज)